

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2021, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2021 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹533589.97 करोड़ और ₹497598.76 करोड़ थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2021 were ₹533589.97 crores and ₹497598.76 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय — MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE — कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare	40512.83 (6)	40512.83 (6)	—	0.83	—	—	40512.00 (6)	@	@	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	27777.44 (64)	23480.00 (41)	*4297.44 (23)	662.12	—	—	27115.32 (64)	160.56	160.56	—
राजस्व विभाग Department of Revenue	0.01 (1)	0.01 (1)	—	—	—	—	0.01 (1)	—	—	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	9495.00 (1)	9495.00 (1)	—	—	—	—	9495.00 (1)	**—	**—	—
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)	60.87 (1)	60.87 (1)	—	—	—	—	60.87 (1)	80.94	##80.94	—
रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1152.60 (4)	1148.67 ^(4)	#3.93	—	—	—	1152.60 (4)	91.94	\$	—

\$ इंडियन ड्रग्स फार्माक्यूटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान गारंटी शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी रूग्ण है।

\$ No Guarantee fee/Commission was paid during 2020-21 by Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd as the Company is Sick.

** भारत सरकार ने ₹ 9495.00 करोड़ रु. की एकल डिफाल्ट गारंटी (दिनांक 29.06.2020 की ₹ 500 करोड़ की दाल गारंटी के खाद्य में गारंटी में विलय के बाद) जिसे समय-समय पर नवीकृत किया जाता है। दिनांक 24.04.2020 के एमओसीएफ एंड पीडी सीए के पत्र सं. 22011/1/2017-एफ सी II/III के तहत नवीकृत की गई ₹ 9495.00 की गारंटी 31.03.2022 तक वैध है।

** The Govt of India has issued single default guarantee amounting to ₹ 9495.00 crore (after merger of pulses guarantee of ₹ 500 crore dated 29.06.2020 in food guarantee) which is being renewed from time to time. Guarantee of ₹ 9495.00 crore has been renewed vide MOCAF&PD CA letter No. 22011/1/2017-FC.II/III dated 24.04.2020 valid upto 31.03.2022.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ₹ 80.33 करोड़ के बकाए का भुगतान मंत्रालय के दिनांक 26.03.2021 के पत्र के तहत ही समायोजन के रूप में दिया गया था।

Out standing payment of ₹ 80.33 crore made by the Ministry of MSME by way of book adjustment vide Ministry's letter dated 26.03.2021.

* यह राशि उपाजित ब्याज/विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

* Amount is due to interest accrued/exchange rate fluctuation.

@ आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया।

@ Guarantee fee has been waived off by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

पहले से जारी गारंटियों के सापेक्ष देयताओं में वर्ष के दौरान वृद्धि से संबंधित है।

Relates to increase during the year in the liabilities against Guarantees already issued.

^ 2019-20 के दौरान कुल गारंटियों की संख्या 4 के बजाय 9 उल्लिखित थीं और इसे ही अब 2020.21 के दौरान लिया गया है।

^ Total No. of guarantees was mentioned as 9 instead of 4 during 2019-20 and the same has now been taken during 2020-21.

विद्युत मंत्रालय									एसएलआर बांड	
MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	—	—	—	—	7000.00 (2)	70.00	70.00	SLR Bond
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	37000.00 (5)	29000.00 (4)	8000.00 (1)	—	—	—	37000.00 (5)	—	—	—
रेल मंत्रालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	6405.19 (3)	4155.67 (3)	2249.52	—	—	—	6405.19 (3)	54.27	54.27	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS										
दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications	22513.97 (9)	7513.97 (7)	15000.00 (2)	—	—	—	22513.97 (9)	100.40	@165.40	—

@ निदेशक (ए/सीएस-II) द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹94.80 करोड़ की राशि अग्रिम रूप में लेखाबद्ध हो गई। वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹29.80 करोड़ वर्ष 2019-20 में लेखाबद्ध किए गए हैं।

@ As communicated by Director (A/cs-II), ₹94.80 crore pertaining to the year 2021-22 accounted in advance. ₹29.80 crore pertaining to 2020-21 were accounted for in 2019-20.

** ₹8.50 करोड़ रु. शुल्क तथा ₹8.50 करोड़ दंड के रूप में।

** Fee ₹8.50 crore and penalty ₹8.50 crore.

* हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) से प्राप्त गारंटी शुल्क। वर्ष 2013-14 के दौरान जारी की गई और वर्ष 2017-18 के दौरान मोचित ₹250 करोड़ पर देय भारत सरकार गारंटी शुल्क। कंपनी ने प्राप्ति योग्य ₹8.50 करोड़ के दंडित गारंटी शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है।

* Guarantee fee received from Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL). GOI guarantee fee payable on ₹250.00 crore guarantee issued during 2013-14 and redeemed during 2017-18. Guarantee fee ₹8.50 crore paid during the year 2020-21. Company has requested waiver of the penal guarantee fee of ₹8.50 crore receivable.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)
(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-										
(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc : -										
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय										
MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM	50386.85 (51)	42816.11 (44)	7570.74 (7)	15414.12 (12)	—	—	34972.73 (39)	1956.15	##2.50	—
कोयला मंत्रालय										
MINISTRY OF COAL	653.60 (3)	635.96 (3)	**17.64	**36.46	—	—	617.14 (3)	5.61	5.61	—
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	42965.18 (45)	41156.76 (43)	**1808.42 (2)	**4034.04 (2)	—	—	38931.14 (43)	851.97	851.97	—

वित्त मंत्रालय —
MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	20192.15 (27)	13394.86 (26)	6797.29 (1)	2847.99 (3)	—	—	17344.16 (24)	137.70	\$160.12	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	183433.75 (206)	167295.86 (189)	16137.89 (17)	* 11958.88 (4)	—	—	171474.87 (202)	37.33	37.33	—

उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF INDUSTRY—

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION	55.49 (3)	53.42 (3)	#2.07	3.30	—	—	52.19 (3)	0.22	0.22	—
---	--------------	--------------	-------	------	---	---	--------------	------	------	---

- # विनिमय हानियों के कारण ₹1.69 करोड़ रु. को शामिल करके।
Including ₹1.69 crore on account of Exchange losses.
* यह राशि गारंटियों/पुनः अदायगी/विनिमय दर परिवर्तन के लोपन के कारण है।
* Amount is due to deletion of Guarantees/repayment/exchange rate fluctuation.
** विनिमय दर परिवर्तन शामिल है।
** Includes exchange rate variation.
\$ प्राप्ति योग्य तथा प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर पूर्णांकन किए जाने तथा एमएमआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की ₹19.90 करोड़ का गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाना है, जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹3.21 गारंटी शुल्क को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹2.49 गारंटी शुल्क को वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही अग्रिम में अदा किया है।
\$ Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to rounding off and Guarantee fee of ₹ 19.90 crore paid by MMRDA pertaining to FY 2019-20 which is received in the FY 2020-21. National Housing Bank (NHB) has paid ₹ 3.21 crore as guarantee fee in advance pertaining to FY 2020-21 in the year 2019-20 and paid ₹ 2.49 crore as guarantee fee in the year 2020-21 in advance pertaining to F.Y 2021-22.
नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रधान लेखाधिकारी के दिनांक 17/06/2021 के पत्र सं. पीआरएओ/टीसीए/एसीटीएस-2/एफए/2021-22/238-240 के अनुसार एयर इंडिया लि. ने नकदी की भारी कमी के चलते गारंटी शुल्क अदा नहीं किया है।
As per Pr. AO, M/O Civil Aviation letter No. PrAO/TCA/ACTS-2/FA/2021-22/238-240 dated 17/06/2021 Air India Ltd. has not paid Guarantee fee due to severe Liquidity Crunch.
^^ यह राशि गारंटियों/आहरण द्वारा कमी/विनिमय दर परिवर्तन को जोड़े जाने की वजह से है।
^^ Amount is due to addition of Guarantees/draw down/exchange rate fluctuation.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	550.69 (1)	550.69 (1)	—	94.66	—	—	456.03 (1)	1.38	1.38	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	11785.82 (17)	##11208.57 *(16)	577.25 (1)	732.64	—	—	11053.18 (17)	195.98	195.98	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	356.89 (2)	356.89 (2)	—	^13.50	—	—	343.39 (2)	0.94	0.94	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES— वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	1054.00 (1)	1054.00 (1)	—	—	—	—	1054.00 (1)	2.34	#3.39	—
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS ^^	1247.68 (4)	1234.22 (4)	13.46	192.67	—	—	1055.01 (4)	13.74	13.74	—
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	68989.96 (8)	67954.64 (8)	^1035.32	—	—	—	68989.96 (8)	**—	**—	—

^ विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^ Due to exchange rate variation.

** सरकार द्वारा एक्सिस बैंक को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों को दिए गए लाइंस ऑफ क्रेडिट को पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई गारंटी, गारंटियों की परिसीमा में नहीं आती है जैसाकि राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.2979 (ई) दिनांक 20-12-2010 में उल्लिखित है और इसीलिए कोई गारंटी शुल्क / कमीशन मुहैया नहीं कराया गया।

** Guarantee provided by the Government to Exim Bank for fulfilment of Lines of Credit extended to foreign countries by the MEA does not fall under the purview of guarantees as mentioned in the Gazette Notification no. S.O.2979(E) dated 20-12-2010 and hence no guarantee fee/commission is provided.

2020-21 में प्राप्ति योग्य ₹ 2.34 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई और 2019-20 में लेखाबद की गई और 2021-22 में प्राप्ति योग्य ₹ 3.39 करोड़ 2020-21 में प्राप्त हो गए।

₹ 2.34 Crore guarantee fee receivable in 2020-21 received and accounted in 2019-20 and ₹ 3.39 Crore is Guarantee Fee receivable in 2021-22 received in 2020-21.

एसबीआई (₹ 3035.10 करोड़) तथा पीएनबी (₹ 162.50 करोड़) की गारंटियां वित्तीय वर्ष 2019-20 में नहीं दर्शाई गई हैं और इन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में शामिल किया गया है।

Guarantees pertaining to SBI (₹ 3035.10 crore) and PNB (₹ 162.50 crore) were not shown during FY 2019-20 and the same is being included this FY 2020-21.

* वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गारंटियों की कुल संख्या 16 अदद के स्थान पर 13 अदद दर्शाई गई है और अब इन्हें 2020-21 में लिया गया है।

* Total No. of guarantees was mentioned as 13 Nos instead of 16 Nos during the FY 2019-20 and the same has now been taken during 2020-21.

^^ आवासन और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय का विलय करके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय बनाया गया है। अतः इन मंत्रालयों की राशियों को जोड़ दिया गया है।

^^ Due to merger of Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) and Ministry of Urban Development as Ministry of Housing and Urban Affairs. Hence figures of these ministries are clubbed.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे			
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details			
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	6	7	8	9	10	11
										प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
												(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/ दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियाँ :-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियाँ:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य —

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21 :-

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year उन्मोचित Discharged	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					अननुमोचित Not Discharged			प्राप्त की गई Received	
								प्राप्त की गई Received	

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

क्षेत्र - (i) - विद्युत

Sector - (i) - Power

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	—	—	—	—	7000.00 (2)	70.00	70.00
-------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	----------------	-------	-------

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए दी गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	42965.18 (45)	41156.76 (43)	1808.42 (2)	4034.04 (2)	—	—	38931.14 (43)	851.97	851.97
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	11785.82 (17)	11208.57 (16)	577.25 (1)	732.64	—	—	11053.18 (17)	195.98	195.98
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	653.60 (3)	635.96 (3)	17.64	36.46	—	—	617.14 (3)	5.61	5.61

क्षेत्र – (ii) – सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय –

MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE —

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

Department of

Agriculture, Co-operation and
Farmers Welfare

39000.00
(4)

39000.00
(4)

—

—

—

—

39000.00
(4)

—

—

क्षेत्र – (iii) – सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

— शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21 : —

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

वर्ग – (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	92.17	92.17	—	4.98	—	—	87.19	1.08	1.08
	(1)	(1)					(1)		

क्षेत्र – (iv) – सड़क और परिवहन**Sector - (iv) - Road and Transport**

वर्ग – (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	6405.19 (3)	4155.67 (3)	2249.52	—	—	—	6405.19 (3)	54.27	54.27
----------------------	----------------	----------------	---------	---	---	---	----------------	-------	-------

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc.—

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION	50386.85 (51)	42816.11 (44)	7570.74 (7)	15414.12 (12)	—	—	34972.73 (39)	1956.15	2.50
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	---	---	------------------	---------	------

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	550.69 (1)	550.69 (1)	—	94.66	—	—	456.03 (1)	1.38	1.38
---	---------------	---------------	---	-------	---	---	---------------	------	------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	58.27 (1)	57.37 (1)	0.90	7.56	—	—	50.71 (1)	—	—
--------------------------------	--------------	--------------	------	------	---	---	--------------	---	---

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	1005.84 (2)	992.38 (2)	13.46	100.09	—	—	905.75 (2)	11.91	11.91
---------------------------------------	----------------	---------------	-------	--------	---	---	---------------	-------	-------

क्षेत्र - (v) - राज्य वित्तीय निगम

Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21 : —

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवास
Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	241.84 (2)	241.84 (2)	—	92.58	—	—	149.26 (2)	1.83	1.83
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	150.66 (1)	150.66 (1)	—	70.30	—	—	80.36 (1)	0.72	0.72

क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसंरचना
Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	778.65	777.31	1.34	91.06	—	—	687.59	7.63	7.65
	(6)	(6)					(6)		

क्षेत्र – (viii) – कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय—

MINISTRY OF

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE —

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

Department of

Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare	1512.83	1512.83	—	0.83	—	—	1512.00	—	—
	(2)	(2)					(2)		

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21 :—

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	9495.00 (1)	9495.00 (1)	—	—	—	—	9495.00 (1)	—	—
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)	60.87 (1)	60.87 (1)	—	—	—	—	60.87 (1)	80.94	80.94
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1152.60 (4)	1148.67 (4)	3.93	—	—	—	1152.60 (4)	91.94	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21 :-

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year उन्मोचित Discharged	Outstanding at the end of the year अननुमोचित Not Discharged	Guarantee Commission or Fee प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class—(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc :-

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	356.89 (2)	356.89 (2)	—	13.50	—	—	343.39 (2)	0.94	0.94
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)	55.49 (3)	53.42 (3)	2.07	3.30	—	—	52.19 (3)	0.22	0.22

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs	19112.40 (18)	12317.35 (17)	6795.05 (1)	2674.09 (3)	—	—	16438.31 (15)	128.27	150.67
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---	---	------------------	--------	--------

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	183433.75 (206)	167295.86 (189)	16137.89 (17)	11958.88 (4)	—	—	171474.87 (202)	37.33	37.33
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	---	---	--------------------	-------	-------

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

वाणिज्य विभाग

Department of Commerce	1054.00 (1)	1054.00 (1)	—	—	—	—	1054.00 (1)	2.34	3.39
------------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	----------------	------	------

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL

AFFAIRS

	68989.96 (8)	67954.64 (8)	1035.32	—	—	—	68989.96 (8)	—	—
--	-----------------	-----------------	---------	---	---	---	-----------------	---	---

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- (ii) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय – कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ	एमपीएस अनुभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का सहकारिता प्रभाग, नई दिल्ली	शून्य
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--	-------

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE- Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare Division of DAC, New Delhi	Nil
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

वित्त मंत्रालय –
MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग Department of Revenue	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	#	नहीं No	नहीं No	लागू नहीं N.A.	27115.32	लागू नहीं NA	हाँ संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली	—	
MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes US (FCI), Krishi Bhawan,	—	
उद्योग मंत्रालय Ministry of Industry									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	केवीआईसी (एमएसएमई) KVIC MSME	शून्य Nil
रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS-									
औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	#	नहीं No	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	हाँ निदेशक (पीएसयू) आईडीपीएल Dir (PSU) IDPL	—	

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—
MINISTRY OF CHEMICALS
AND FERTILIZERS-

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	#	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ निदेशक (सीएच-II)		
Department of Chemical & Petrochemical	#	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes Dir (CH-II)		—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	# #	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	7000.00 7000.00	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी)	—
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	Yes	Yes	US (FCI) and US (CWC)	—
रेल मंत्रालय	#	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	शून्य	लागू नहीं
MINISTRY OF RAILWAYS	#	NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गई है			प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हाँ	उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	—
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications	#	No such fund created by the Deptt			Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (SU), DoT, Sanchar Bhawan	—

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1060.36	हाँ	हाँ	वित्त-I अनुभाग, राजीव गांधी भवन, नागर विमानन मंत्रालय	—
MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM	#	No	NA	NA	1060.36	Yes	Yes	Finance-I Section, Rajiv Gandhi Bhawan, M/o Civil Aviation	—

कोयला मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	617.14	शून्य	हाँ	निदेशक (वित्त) कोयला मंत्रालय	—
MINISTRY OF COAL	#	Nil	Nil	Nil	617.14	Nil	Yes	Director (Finance) M/o Coal	—
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	456.03	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और राजमार्ग), नई दिल्ली	शून्य
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	456.03	Nil	Yes	DG (RTH), New Delhi	Nil
विद्युत मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	शून्य	38931.14	शून्य	हाँ	विद्युत मंत्रालय	शून्य
MINISTRY OF POWER	#	Nil	No	Nil	38931.14	Nil	Yes	Ministry of Power	Nil
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	#	हाँ 5229.96	नहीं	6829.96	17344.16	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 5229.96	No	6829.96	17344.16	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—
वित्तीय सेवाएं विभाग	#	शून्य	नहीं	शून्य	171474.87	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—
Department of Financial Services	#	Nil	No	Nil	171474.87	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—
उद्योग मंत्रालय Ministry of Industry	#	शून्य	शून्य	शून्य	52.19	शून्य	हाँ	केवीआईसी एमएसएमई	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES	#	Nil	Nil	Nil	52.19	Nil	No	NSIC MSME	Nil
Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	#	Nil	Nil	Nil	52.19	Nil	No	NSIC MSME	Nil

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।
Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	#	नहीं	नहीं	नहीं	11053.18	नहीं	हाँ	डा. पंकज सक्सेना वैज्ञानिक 'च' एमएनआरई, लोदी रोड, नई दिल्ली-03	—
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	#	No	No	No	11053.18	No	Yes	Dr. Pankaj Saxena Scientist 'F', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03	—

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	343.39	नहीं	हाँ	मंत्रालय में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का परियोजना अनुभाग	—
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	343.39	No	Yes	Project Section of the concerned PSU in the Ministry	—
वाणिज्य विभाग	#	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं	हाँ	अवर सचिव (आईएफडी वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली	—
Department of Commerce	#	No	No	No	No	NIL	Yes	US (IFD Department of Commerce) New Delhi.	—
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	—	1055.01	लागू नहीं	हाँ	एए(हुडको) एवं दिल्ली प्रभाग (एनसीआरपीबी)	—
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS ##	#	Nil	No	—	1055.01	NA	Yes	AA(HUDCO) & Delhi Division (NCRPB)	—
विदेश मंत्रालय	#	नहीं	शून्य	लागू नहीं	68989.96	शून्य	नहीं	डीपीए-1, विदेश मंत्रालय	—
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	#	No	Nil	NA	68989.96	Nil	No	DPA-I, MEA	—

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए) मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय का विलय होने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय बनाए जाने के कारण। अतः इन मंत्रालयों की राशियों को इकट्ठा कर दिया गया है।

Due to merger of Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) and Ministry of Urban Development as Ministry of Housing and Urban Affairs. Hence figures of these ministries are clubbed.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—समाप्त

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Concl'd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
									(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:—

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

—शून्य—
-Nil-

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—
 (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य—
 -Nil-

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :—
 (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

—शून्य—
 -Nil-

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां: —
 (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries: —

—शून्य—
 -Nil-

- (viii) कोई अन्य :—
 (viii) Any Other : —

—शून्य—
 -Nil-